न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

मुत.(6ए)संख्या 12 / 20 वर्ष 2020

GCMS NO :–2020 / 00129

बउनवानीः–सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक मलारना डूँगर, जिला सवाई माधोपुर

बनाम

1. श्री विष्णु मंगल व्यापारी, ग्राम पंचायत खिरनी तहसील मलारना डूँगर सवाईमाधोपुर
2. श्री रघुनन्दन मंगल, उचित मूल्य दुकानदार, ग्राम पंचायत खिरनी

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ऐ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955)

उपस्थित :– श्री प्रहलाद मीना (प्रवर्तन निरीक्षक) पैरोकार, रसद

श्री कमलेश गुर्जर वकील अप्रार्थी

–: निर्णय :– दिनांक 27.02.2025

प्रवर्तन निरीक्षक, सवाईमाधोपुर द्वारा दिनांक 20.5.2020 को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के नियम 6 ऐ के तहत इस न्यायालय मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 18.5.2020 को दूरभाष पर ग्राम पंचायत खिरनी के उचित मूल्य दुकानदार श्री रघुनन्दन मंगल द्वारा राशन के गेहूँ की कालाबाजारी किये जाने की सूचना पर 5.87 क्विंटल 240 ग्राम गेंहूँ मय बारदाना जब्त कर जब्त किये गये उक्त गेहूँ एवं बारदाना को राजसात (Confiscate) किये जाने बाबत निवेदन किया गया।

प्रकरण न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करने पर दर्ज पंजिका में इन्द्राज किया जाकर सुनवायी हेतु अप्रार्थी की तलबी जरिये नोटिस की गयी।

तत्पश्चात् बहस पैरोकार रसद एवं वकील अप्रार्थी सुनी गयी।

पैरोकार रसद ने दौराने बहस प्रवर्तन निरीक्षक सवाईमाधोपुर की ओर से इस न्यायालय में दिनांक 20.5.2020 को अन्तर्गत धारा 6 (ऐ) आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि दिनांक 18.5.2020 को सरपंच श्री रूपसिंह गुर्जर द्वारा दूरभाष नम्बर 9613208888 से धर्मचन्द अग्रवाल प्रवर्तन अधिकारी को दूरभाष पर सूचना दी गयी कि ग्राम पंचायत खिरनी के उ.मू.दुकानदार रघुनन्दन मंगल द्वारा राशन के गेहूँ की कालाबाजारी की जा रही है। उक्त सूचना पर कार्यवाही हेतु सौरभ जैन, जिला रसद अधिकारी, वहमराह श्री धर्मचन्द अग्रवाल, प्रवर्तन अधिकारी के साथ अधोहस्ताक्षरकर्ता मौके पर ग्राम खिरनी पहुँचे। ग्राम पंचायत परिसर खिरनी में ही पुलिस चौकी संचालित है। मौके पर सरपंच श्री रूपसिंह गुर्जर द्वारा अवगत कराया कि दिनांक 18.5.2020 को हमारी ग्राम पंचायत के राशन डीलर रघुनन्दन मंगल के यहॉ से 14 कटटे राशन के गेंहूँ कालाबाजारी करने हेतु हमारे यही के व्यापारी विष्ण मंगल के यहॉ बेचने हेतु लेकर जा रहे थे । सरपंच ने बातया कि मुझे यह सूचना वार्ड मेम्बर कैली देवी के पुत्र अमर सिंह गुर्जर एवं हरकेश गुर्जर पुत्र पुखराज गुर्जर निवासी खिरनी द्वारा दी गयी है। सरपंच रूपसिंह गुर्जर ने बताया कि डीलर रघुनन्दन के यहॉ से बाईक पर 2–2 कटटे लाकर व्यापारी विष्णु मंगल के गोदाम पर लाये जा रहे है। सरपंच श्री रूपसिंह गुर्जर न बताया कि मैने तुरन्त यह सूचना पुलिस चौकी पर श्री महिपाल सिंह बेल्ट नं. 116 एवं श्री राजेन्द्र सिंह बेल्ट नं. 718 को सूचना दी। श्री राजेन्द्र से पूछताछ करने पर उन्होने बताया कि हम डीलर के गोदाम पर गये वहॉ पर भीड हो रही थी वहॉ पर गोदाम के बाहर 2 कटटे रखे थे, हम भीड को हटाकर वापस आ गये । श्री रूपसिंह गुर्जर बताया कि मुझे पुलिस वालो ने कहॉ कि आप कटटे ग्राम पंचायत मे लेकर आ जावो। इसके बाद अमर सिंह व हरकेश 2 कटटे पुलिस चौकी पर लेकर आ गये इसके बाद विष्णु मंगल को बुलाया जाकर पूछताछ की जाने पर विष्णु मंगल ने बताया कि उक्त गेहूँ रघुनन्दन से खरीदा जाना बताया जाने पर उसके गोदाम से 8 कटटे गेहूँ हाथ की सिलाई किये हुए व्यापारी के पलदारो की मदद से पुलिस चौकी परिसर मे लाये गयैं सरपंच ने बताया कि विष्णु मंगल से श्री आशाराम मीना ग्राम विकास अधिकारी ने पूछताछ की गयी। इसके पश्चात जॉच दल द्वारा व्यापारी विष्णु मंगल पुत्र सत्यनारायण मंगल से पूछताछ की जाने पर उसने बताया कि मेरे पास रघुनन्दन मंगल का फोन आया था कि मुझे गेंहूँ बेचने है इस पर मैने मेरे पल्लेदार श्री शाहरूख खान एवं रायसिंह द्वारा 12 कटटे मेरी दुकान पर लाये गये जो रघुनन्दन के यहॉ से लेकर आये है तथा इन कटटो में रखे गेहूँ को मैने मेरे हिसाब से तौल दिया है श्री विष्णु मंगल ने बताया कि यह मुझे पता नही है कि रघुनन्दन के कौनसे गोदाम से मेरे पल्लेदार गेहूँ लेकर आये है। श्री विष्णु मंगल से उक्त गेहूँ के बारे में पूछने पर बताया कि इन कटटो का गेंहूँ 8 कटटो मे भरा था जो सरपंच ने मेरे गोदाम से ग्राम पंचायत पसिर में मंगवा लिये। सरपंच ने विष्णु मंगल से कहॉ कि यह गेहूँ राशन का है इसलिए इसको लेकर जा रहे है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 16:06:37 IST
Reason: SelfAttested

(सुमन चौधरी)
जिला कलेक्टर

(मुत. 6ए संख्या 12/2020 सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक बनाम विष्णु मंगल वगै.)

मौके पर ग्राम पंचायत भवन खिरनी के परिसर मे स्थित पुलिस चौकी के बरामदे में 10 कटटे गेंहूँ रखे हुए थे जिनमे से 2 कटटे मशीन से सिलाई किये हुए थे एवं शेष 8 कटटे हाथ की सिलाई के किये हुए थे। अतः सरपंच ग्राम पंचायत खिरनी एवं व्यापारी विष्णुमंगल के बयानो के आधार पर पृथम दृष्टया यह गेहूँ सार्वजनिक वितरण प्रणाली का होना प्रतीत होने के कारण कब्जेराज लिया जाकर सुरक्षा की दृष्टि से सम्भाल कर रखने हेतु इसी ग्राम पंचायत के अन्य उचित मूल्य दुकानदार श्री हंसराज मीना (कंवाल) की सुपुदर्गी में दिया गया। उक्त गेहूँ को तोलने पर उक्त गेहूँ मय बारदाना 5.87 क्विंटल 240 ग्राम पाया गया। उचित मूल्य दुकानदार का उक्त कृत्य राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तो का स्पष्ट उल्लंघन किया जाना पाया गया है। अतः जब्त किये गये 5.87 क्विंटल 240 ग्राम गेहूँ को राजसात करने बाबत पैराकार रसद द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील अप्रार्थी द्वारा दौराने बहस कथन किया कि जॉच दल द्वारा प्रार्थीगण के विरूद्ध निराधार तथ्यो के आधार पर 6ऐ का प्रकरण बनाया है। अप्राथी संख्या 1 की ओर से वकील अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया कि राशन डीलर श्री रघुनन्दन मंगल के यहॉ से उपभोक्ताओ ने विष्णु मंगल पुत्र सत्यनारायण को लाभ प्राप्त करने के उद्वेश्य से बेच दिये थे जो रघनुन्दन डीलर की दुकान पर पाये गये ओर पुलिस थाना बौंली ने रघुनन्दन को दोषी नही माना है एवं प्रकरण मे एफ.आर पेश कर दी है। प्रार्थी ने जो 10 कटटे गेंहूँ रघुनन्दन मंगल की दुकान से लिये थे वो प्रार्थी विष्णु मंगल का स्वंय का था उसने किसी प्रकार की कालाबाजारी नही की गयी है किन्तु फिर भी माननीय न्यायालय चाहे तो उक्त 10 कटटे गेंहूँ राज्य सरकार के पक्ष में राजसात कर लिया जावे तो प्रार्थी को कोई आपत्ति नही है। अप्रार्थी रघुनन्द मंगल द्वारा भी निवेदन किया कि उक्त राशन के गेंहूँ का बेचान मेरे द्वारा नही किया गया है उक्त गेंहूँ संबंधित उपभोक्ताओं द्वारा मेरी दुकान से ले जाकर अपने–अपने निजी कारणों से विष्णु मंगल को बैचान किये गये है। जिन उपभोक्ताओं द्वारा अपने राशन के गेंहूँ का बैचान किया गया है उन्होने अपना शपथ पत्र भी पेश कर रखा है जिसमे उन्होने अपनी स्वंय की इच्छा/जरूर से गेंहूँ बैचान करना बताया गया है। संबंधित उपभोक्ताओ द्वारा उक्त गेंहूँ के बैचान मे डीलर रघुनन्दन का कोई हाथ नही होना अपने शपथ पत्र मे अंकित किया है राशन डीलर की दुकान का गेंहूँ ,चना,दाल,चीनी का स्टॉक मुताबिक स्टॉक रजिस्टर एवं पीओएस मशीन के सही पाया गया है। शिकायतकर्ता को गलत फहमी हो जाने के कारण उक्त शिकायत हुई है इसलिए उक्त गेंहू की कालाबाजारी को लेकर प्रार्थी के विरूद्व थाना बौंली मे दर्ज एफ.आई.आर संख्या 101/2020 में एफ.आर. संख्या 42/2020 को लग चुकी है। अतः उक्त गेंहूँ को राजसात कर लिया जाता है तो अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नही है।

पैरोकार रसद एवं वकील अप्रार्थी को सुनने एवं संबंधित पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते है कि उक्त गेंहूँ की जब्ति कार्यवाही के समय अप्रार्थी विष्णु मंगल के बयान लिये गये तथा बयानो को पढकर सुनाया जाने पर विष्ण मंगल द्वारा बयान सही होना मानते हुए हस्ताक्षर किये गये है। जहॉ तक प्रकरण मे एफ.आर.लगने का प्रश्न है तो पुलिस कार्यवाही इस न्यायालय की न्यायिक कार्यवाही से भिन्न प्रकिया है। अतः प्रवर्तन निरीक्षक मलारना डूॅगर द्वारा की गयी जब्ती कार्यवाही में कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रवर्तन निरीक्षक मलारना डूॅगर द्वारा प्रस्तुत 06 ऐ प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वरवक्त जॉच जब्त कर कब्जे राज लिये गये 5.87 क्विंटल 240 ग्राम गेहूँ मय बारदाने को राजसात (Confiscate) किया जाता है। जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर को निर्देशित किया जाता है कि जब्त गेहूँ का पूर्व में अन्तरिम निस्तारण से प्राप्त राशि को राजकोष मे जमा करावे एवं संबंधित उपभौक्ताओं जिन्होने गेंहूँ बैचान बाबत शपथ पत्र पेश किये है उनको नोटिस जारी कर विधिवत सुनवायी का अवसर दिया जाकर खाद्य सुरक्षा योजना सें नाम हटाने की नियमानुसार कार्यवाही की जावे साथ ही संबंधित डीलर के विरूद्व भी पृथक से विभागीय कार्यवाही प्रस्तावित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.2.2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(शुभम चौधरी)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 18:06:37 IST
Reason: SelfAttested